

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुलतानपुर

पत्रांक-एनएचएम/आरबीएसके-एम एण्ड ई/वाहन/2018-19

दिनांक 01.10.2018

मेसर्स,

उमा ट्रेबल एजेन्सी
शाप न0-5 अम्बेडकर मार्केट,
सुलतानपुर।

3812-19

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा मानीटरिंग एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत टैक्सी परमित वाहनों हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 19.06.2018 को निविदा कमेटी द्वारा स्वीकृत निविदा दर रु0 30000.00 एवं आपके द्वारा अनुबन्ध पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आर0बी0एस0के0 तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित स्वास्थ्य केन्द्रों पर आर0बी0एस0के0 हेतु दो वाहन एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु एक वाहन मय वाहन चालक एवं पी0ओ0एल0 सहित भेजना सुनिश्चित करें तथा अनुबन्ध पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बिल भुगतान हेतु सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के समक्ष दो प्रतियों में वाहन संख्या सहित प्रस्तुत करें। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि निविदा में अंकित वाहन टैक्सी परमित के अन्तर्गत नहीं पायी जाती है तो आपकी निविदा निरस्त करते हुए बैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

क्र0 सं0	चिकित्सा इकाई का नाम	आरबीएसके वाहन	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वाहन
1	पी0पी0कमैचा	UP-44 AJ3484 UP-44 T8867	UP-44 AC3026
2	लम्भुआ	UP-44 T9044 UP-44 AT1658	UP-44 AJ1304
3	भदैया	UP-44 AT0237 UP-44 AT0879	UP-44 T9023
4	दूबेपुर	UP-44 AT0098 UP-44 AF0514	UP-44 AT0258
5	बल्दीराय	UP-44 AE0701 UP-44 AT3033	UP-44 T7720
6	जयसिंहपुर	UP-44 T6990 UP-44 AT 0396	UP-44 T9590
7	मोतिगरपुर	UP-32 FN1204 UP-44 AT0141	UP-44 AT0251

क्र0 सं0	चिकित्सा इकाई का नाम	आरबीएसके वाहन	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वाहन
8	कादीपुर	UP-44 AT0142 UP-44 T7352	UP-44 AT 0684
9	कुड़वार	UP-44 W4513 UP-44 AT0294	UP-44 T9987
10	अखण्डनगर	UP-45 T3890 UP-45 T8401	UP-32 FN5951
11	कूरेभार	UP-44 Y0592 UP-44 AT0394	UP-42 AT4888
12	दोस्तपुर	UP-44 AT0144 UP-45 T3528	UP-44 AT1913
13	धनपतगंज	UP-44 AT1303 UP-44 AM2298	UP-44 AF2724
14	जिला मुख्यालय	-	UP-44 T7858 UP-44 AT3565

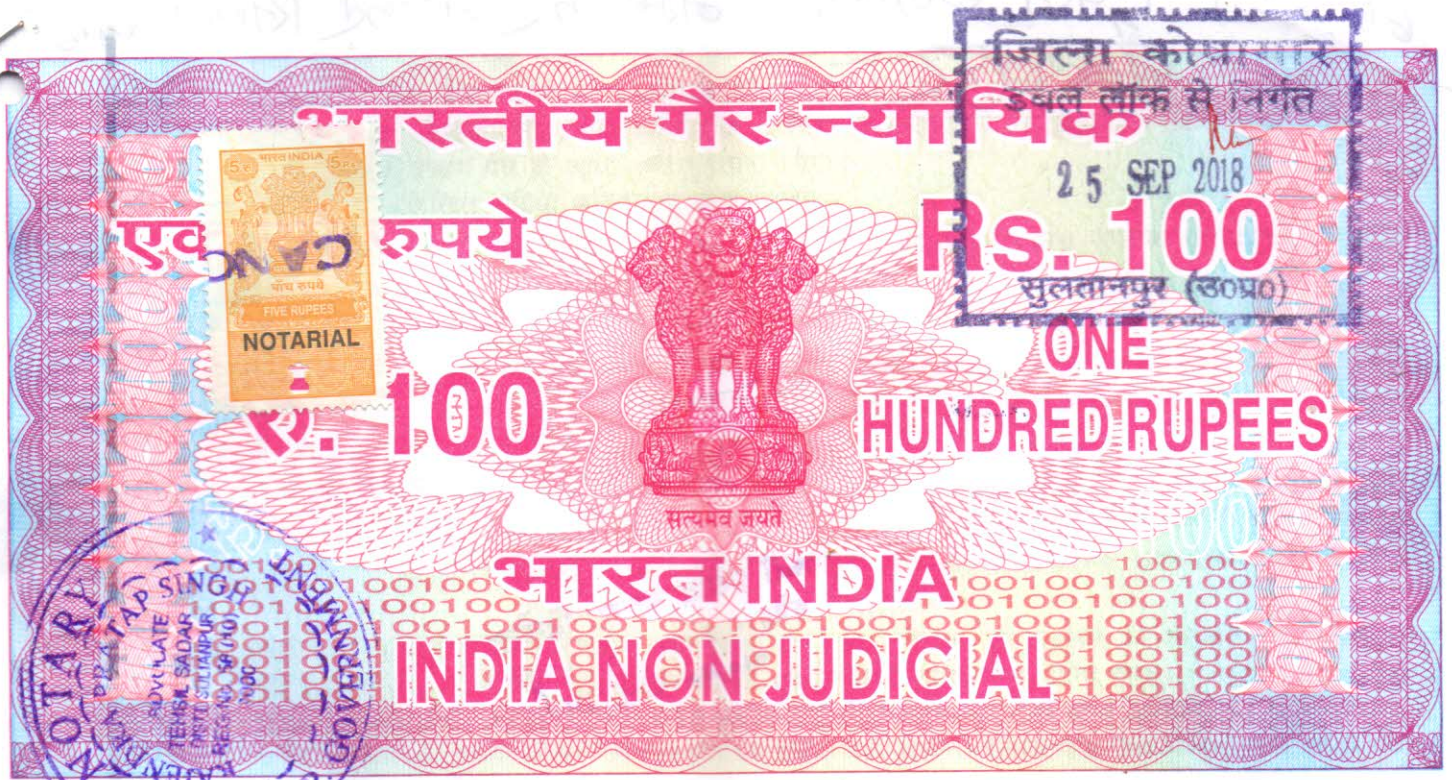
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सुलतानपुर

पत्रांक-एनएचएम/आरबीएसके-एम एण्ड ई/वाहन/2018-19

प्रतिलिपि-

- समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र जनपद सुलतानपुर को अनुबन्ध की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र के साथ संलग्न अनुबन्ध पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार वाहन चलवाना एवं बिल भुगतान करना सुनिश्चित करें।
- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0 सुलतानपुर।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, रा0स्वा0मिशन सुलतानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- जिलाधिकारी सुलतानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विधान सभा मार्ग 19ए विशाल काम्पलेक्स उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सुलतानपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 319086

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुलतानपुर सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति जनपद सुलतानपुर

द्वितीय पक्ष

मेसर्स उमा ट्रेवल्स एजेन्सी, शाप नं०-5 अम्बेडकर मार्केट सुलतानपुर (सेवा प्रदाता)।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति जनपद सुलतानपुर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आज दिनांक 01.10.2018 को जनपद सुलतानपुर में सम्पादित किया जा रहा है। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.10.2018 से 30.09.2020 अथवा अगली निविदा तक के लिए होगी।

1. यह कि द्वितीय पक्ष जिला सुलतानपुर के ब्लॉक चिकित्सा इकाईयों एवं मुख्यालय पर निम्नानुसार वाहन उपलब्ध करायेगा:-

क्र० सं०	चिकित्सा इकाई का नाम	आरबीएसके वाहन	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वाहन
1	पी०पी०कमैचा	UP-44 AJ3484 UP-44 T8867	UP-44 AC3026
2	लम्मुआ	UP-44 T9044 UP-44 AT1658	UP-44 AJ1304
3	भदैया	UP-44 AT0237 UP-44 AT0879	UP-44 T9023
4	दूबेपुर	UP-44 AT0098 UP-44 AF0514	UP-44 AT0258
5	बल्दीराय	UP-44 AE0701 UP-44 AT3033	UP-44 T7720
6	जयसिंहपुर	UP-44 T6990 UP-44 AT 0396	UP-44 T9590
7	मोतिगरपुर	UP-32 FN1204 UP-44 AT0141	UP-44 AT0251

क्र० सं०	चिकित्सा इकाई का नाम	आरबीएसके वाहन	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वाहन
8	कादीपुर	UP-44 AT0142 UP-44 T7352	UP-44 AT 0684
9	कुडवार	UP-44 W4513 UP-44 AT0294	UP-44 T9987
10	अखण्डनगर	UP-45 T3890 UP-45 T8401	UP-32 FN5951
11	कूरुभार	UP-44 Y0592 UP-44 AT0394	UP-42 AT4888
12	दोस्तपुर	UP-44 AT0144 UP-45 T3528	UP-44 AT1913
13	धनपतगज	UP-44 AT1303 UP-44 AM2298	UP-44 AF2724
14	जिला मुख्यालय	-	UP-44 T7858 UP-44 AT3565

2. यह कि द्वितीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम हेतु एक वाहन तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु दो वाहन की आपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

Rajendra Pratap Singh
Advocate
NOTARY
Sadar Sultanpur, U.P.
22-10-19

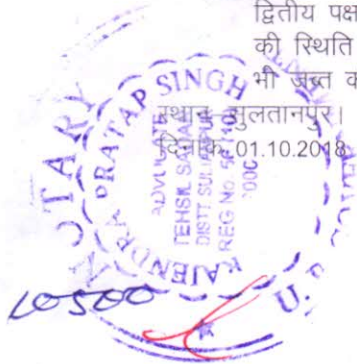
[Signature]

- (क) सेवा प्रदाता द्वितीय पक्ष अंकित वाहनों के अनुसार वाहन उपलब्ध करायेगा जिस हेतु प्रथम पक्ष रु0 30000/- (रु0 तीस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रति वाहन समस्त करों सहित सेवा प्रदाता एजेन्सी को सम्बन्धित सी0एच0एसी0/पी0एच0सी0 के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के उपलब्ध कराये गये कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान करेगा।
- (ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यता होनी चाहिए:-
- वाहन पंजीकृत एवं टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है। सेवा प्रदाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन का माडल वर्ष 2015 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
 - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा, गैस चालित वाहन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार(सेवा प्रदाता) व बीमा कम्पनी द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस कम्पनी की होगी।
 - सेवा प्रदाता द्वारा अनुबन्धित उपरोक्त वाहन माह में कम से कम 25 दिवस (रविवार एवं राजकीय अवकाश को छोड़कर) अवश्य चलायी जायेगी एवं कम से कम 1000 किमी प्रत्येक माह वाहन चलना अनिवार्य है।
 - सेवा प्रदाता एजेन्सी को आपूर्ति किये गये सभी वाहनों पर जी0पी0आर0एस0 उपकरण अनिवार्य रूप से लगाये जायेंगे।
 - अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को किसी भी वाहन/ड्राइवर को बदलने की अनुमति बिना प्रथम पक्ष की अनुमति के नहीं होगी। सभी वाहन चालकों को निर्धारित यूनिफार्म में आना होगा।
- (ग) वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि वाहन के साथ होना अनिवार्य है।
- (घ) वाहन के संचालन (वाहन चालक की मजदूरी) एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
- (च) वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रु0 1000/- प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
- (छ) वाहन पर सफेद सीट कवर सेवा प्रदाता द्वारा सभी वाहन पर लगाया जायेगा। जिसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी।
3. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी सुलतानपुर के नाम रु0 5000.00 प्रति वाहन की दर से धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
 4. प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिए गलत मीटर रीडिंग पाये जाने पर फर्म के देयक का भुगतान रोका जा सकता है। द्वितीय पक्ष प्रत्येक दिन प्रातः 9:00 बजे (सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र पर पहुंचने पर) वाहन का किमी अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में नोट किया जायेगा तथा उसी समय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा। इस रीडिंग को सायंकाल 6 बजे के बाद वापस आने का किमी पुनः लाग बुक पर नोट कर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा। वाहन गैराज आने जाने हेतु 20 किमी अतिरिक्त दूरी लाग बुक में शामिल की जायेगी।
 5. द्वितीय पक्ष को वाहन चलाने वाले चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को नोट कराना होगा, तथा सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये वाहन/चालक की सूचना प्रथम पक्ष को देनी होगी।
 6. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य ईकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य ईकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय को लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
 7. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण कर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें ऐसा पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 8. एजेन्सी को आवंटित ईकाई पर प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने पर नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा ब्लाक चिकित्सा ईकाई पर माह में कम से कम 25 कार्यदिवस वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तदोपरान्त सम्बन्धित अधीक्षक को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण वाहन सं0 के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

Rajendra Pratap Singh
NOTARY Advocate
Sadar, Sultanpur (U.P.)
8-10-18

Ums-Uma Travel Agency
[Signature]
Proprietor

10. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
12. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकेगा एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिवस की नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा, तथा धरोहर राशि भी वापस की जा सकती है।



हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य सोसाइटी
सुलतानपुर।(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर
सेवा प्रदाता(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. मानदेऊ नारायण - 8887880826

2. धर्मशेखर पाण्डेय - 9415382803

Rajendra Pratap Singh
Advocate
NOTARY
Sadar, Sultanpur, U.P.
8-10-18